

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 जून 2019—ज्येष्ठ 21, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 11 जून 2019

क्र. एफ-3-5-2018-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर एतद्द्वारा डॉ. अनिल ठाकरे, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 8 फरवरी 2022 तक के लिए एवं श्री मदनलाल कौरव, सेवानिवृत्त संयुक्त राजस्व आयुक्त को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक के लिये संभागीय सतर्कता समिति भोपाल में सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.